उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः9/2016/1575/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-3(ए)

लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के आर्टिकल-90(।।)(बी) में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1841/24-पी-2-16-सा0(30)/15टीसी-3, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा किये गये प्राविधानों के अनुसार श्री ए0पी0 मिश्र, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को कार्यालय ज्ञाप संख्या-207/24-पी-2-16-सा0(117)/15टीसी-1, दिनांक 02 फरवरी, 2016 के क्रम मे दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः 9/2016/1575(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- सम्बंधित अधिकारी।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा।
8- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
9- ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ ।
10- व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in